

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम शिरुआ के खाता सं. 260 खसरा नं. में आवेदन पत्र अनुसार सन्मदान सिंह के वाजाग्र शतीदान सिंह शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प धारावाला धाराग्राम पंचायत शिरुआ में दिनांक 03/10/25 को मजमेआम में सुनाया गया



[Signature]
उपस्थंड अधिकारी
फागी